रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 28] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 8, 1974/माघ 19, 1895

No. 28] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 8, 1974/MAGHA 19, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th February 1974

G.S.R. 33(E)/IDRA/30/1/74/2.—The following draft of certain rules further to amend the Registration and Licensing of Industrial Undertakings Rules, 1952, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 30 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), is hereby published as required by sub-section (1) of the said section for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the 11th March, 1974.

Any objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft before the date so specified will be taken into consideration by the Central Government.

DRAFT RULES

1. These rules may be called the Registration and Licensing of Industrial Undertakings (Amendment) Rules, 1974

2. In the Registration and Licensing of Industrial Undertakings Rules, 1952 (hereinafter referred to as the said rules), for the words "Ministry of Industry and Supply", wherever they occur, the words "Ministry of Industrial Development" shall be substituted.

3. For rules 10 and 11 of the said rules, the following rules shall be substituted, namely:—

"10. *Application to be referred to Committee.*—

(1) The Ministry of Industrial Development shall refer the application to a Committee appointed under sub-rule (2).

(2) The Ministry of Industrial Development may, by notification in the Official Gazette, appoint one or more Committees consisting of such number of members as it may think fit to represent—

(a) the Ministries of the Central Government dealing with—

(i) the industries specified in the First Schedule to the Act;

(ii) Finance;

(iii) Company Affairs; and

(iv) Science and Technology; and

(b) the Planning Commission.

(3) A Committee appointed under sub-rule (2) may co-opt one or more representatives of other Ministries of the Central Government or of any State Government concerned, wherever it is necessary.

11. *Submission of report by the Committee.*—After such investigation as may be necessary, the Committee to which an application has been referred under rule 10 shall submit a report to the Ministry of Industrial Development.".

4. In rule 12 of the said rules, for the words "the Licensing Committee", the words "the Committee" shall be substituted.

5. In rule 13 of the said rules, for the words "the Licensing Committee", the words and figures "the Committee referred to in rule 11", shall be substituted.'

[No. 1/12/Spl. Leg. Cell/73]

S. K. SAHGAL, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 1974

सा० का० नि० 33(अ)/आई० डी० आर० ए०/30/1/74/2.—औद्योगिक उपक्रमों का रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञापन नियम, 1952, में और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिन्हें केन्द्रीय सरकार उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने की प्रस्थापना करती है, उक्त धारा की उपधारा (1) द्वारा यथापेक्षित उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनका उनसे प्रभावित होना संभाव्य है, और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर 11 मार्च 1974 को या इसके पश्चात् विचार किया जाएगा।

उक्त प्रारूप की बाबत किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख से पहले जो आक्षेप या सुझाव प्राप्त होंगे उन पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1 इन नियमों का नाम औद्योगिक उपक्रमों का रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञापन (संशोधन) नियम, 1974 है।

2. औद्योगिक उपक्रमों का रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञापन, नियम, 1952 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, "उद्योग और पूर्ति मंत्रालय" शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं भी वे आये हों, "औद्योगिक विकास मंत्रालय" शब्द रखे जाएंगे ।

3. उक्त नियमों के नियम 10 और 11 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे ; अर्थात:—

"10. आवेदनों का समिति को निर्देशित किया जाना.—

(1) औद्योगिक विकास मंत्रालय आवेदन को उपनियम (2) के अधीन नियुक्त की गई समिति को निर्देशित करेगा ।

(2) औद्योगिक विकास मंत्रालय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक या अधिक समितियां नियुक्त कर सकेगा जिनमें सदस्यों की उतनी संख्या होगी जितनी वह निम्नलिखित का प्रतिनिधित्व करने के लिए ठीक समझे,—

(क) निम्नलिखित से संबंधित केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय —

(i) अधिनियम की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट उद्योग ;

(ii) वित्त,

(iii) कम्पनी कार्य; और

(iv) विज्ञान और प्रौद्योगिकी; तथा

(ख) योजना आयोग

(3) उपनियम (2) के अधीन नियुक्त की गई समिति, जहां कहीं भी आवश्यक हो, केन्द्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों के या किसी सम्बद्ध राज्य सरकार के एक या अधिक प्रतिनिधियों को सहयोजित कर सकेगी ।

11. समिति द्वारा रिपोर्ट का प्रस्तुत किया जाना:— ऐसे अन्वेषण के पश्चात्, जो आवश्यक हों वह समिति जिसको नियम 10 के अधीन आवेदन निर्देशित किया गया है, औद्योगिक विकास, मंत्रालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।" ।

4. उक्त नियमों के नियम 12 में, "अनज्ञापन समिति" शब्दों के स्थान पर "समिति" शब्द रखा जाएगा ।

5. उक्त नियमों के नियम 13 में, "अनुज्ञापन समिति" शब्दों के स्थान पर "नियम 11 में निर्देशित की गई समिति" शब्द और अंक रखे जायेंगे ।

[सं० 1(12)/विशेष वि० सैल]

सुरेश कुमार, महगल, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974